भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 28

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री

28. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विगत अनेक वर्षों से कृषि उत्पादन के लिए निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री के कारण किसानों को एक वर्ष में दो से तीन बार बीज और बुवाई का खर्च वहन करना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप उन पर वित्तीय बोझ बढ़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री' के संबंध में 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में विवरण।

(क) एवं (ख): जी नहीं

महाराष्ट्र के कृषि विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई है।

(ग) से (ड.): दो बार/तीन बार बीज बोने से किसानों पर बीज की लागत का अतिरिक्त बोझ पड़ने की किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड, अकोला (एमएस) पिछले कई वर्षों से रामटेक निर्वाचन क्षेत्र सहित नागपुर जिले में विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करा रहा है। आपूर्ति किए गए बीज महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी द्वारा विधिवत प्रमाणित 'भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानक' के अनुसार क्वालिफाइड हैं।

******